रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265083
CG-DL-E-30072025-265083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3403] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947
No. 3403] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3486(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर को बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 322 के कि.मी 58.471 किमी से किमी 69.831 (मुसरीघरारी से बासुदेवपुर) तक के चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का निर्माण कार्य में भूमि अर्जन, रख-रखाव, प्रबंधन एवं संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), स्तम्भ (5), स्तम्भ (6) और स्तम्भ (7) में क्रमशः राज्य, जिलों, तालुकों और गांवो से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के संबंध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 322 के कि०मी० 58.471 से कि० मी० 69.831 (मुसरीघरारी से बासुदेवपुर) तक के निर्माण कार्य में अर्जन की जाने वाली भूमि के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7	
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH322 के कि.मी 58.471 से कि.मी 69.831 तक	बिहार	समस्तीपुर	समस्तीपुर	1	हरपुर निज़ामत
						2	हरपुर सिलौत
						3	मथुरा मंडल
						4	रहमतपुर
						5	हरपुर एलौथ
						6	दुधपुरा
						7	चकनूर
						8	मोहनपुर
						9	राजखंड
						10	आसीनपुर
						11	धुरलख
						12	रहीमपुर रुदौली
						13	भूईधारा
						14	चाँदोपट्टी रुदौली
						15	सिलौत

[फा. सं. RW/PAT/NH-322/Musrigharari to Basudeopur/LA/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3486(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction (widening/2-lane with paved shoulders), maintenance management and operation from Km. 58.471 to 69.831 (Musrigharari - Basudeopur) of the National Highway No. 322 in the state of Bihar.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No. 322 (musrigharari - Basudeopur) on the stretch from Km 58.471 to Km 69.831 in the State of Bihar.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	DLAO , Samastipur	NH322 KM 58.471 TO KM 69.831	BIHAR	SAMASTIPUR	Samastipur	1	Harpur Nizamat
						2	Harpur Silauth
						3	Mathura Mandal
						4	Rahmatpur
						5	Harpur EIouth
						6	Dudhpura
						7	Chaknur
						8	Mohanpur
						9	Rajkhand
						10	Aashinpur
						11	Dhurlakh
						12	Rahimpur Rudauli
						13	Bhuidhara
						14	Chandopatti Rudauli
						15	Silauth

[F. No. RW/PAT/NH-322/Musrigharari to Basudeopur/LA/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.30 14:53:38 +05'30'